GLMS-2025/30

Form No. III

APP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम चमनलता

किस्म मुकदमा 136 L.R नं. 2 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 15/1/25 को पेश हो।	
15/1/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नयानोहरा की वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार संवत् 2070–2073 जमाबन्दी 2077 वर्ष 2020 में स्थायी के खाता सं. 43 से खसरा नंम्बर 38/1 रकबा 0.18 है0 नहरी प्रथम भूमि चमनलता सोनी पत्नि महेश कुमार सोनी हिस्सा 1/2 जाति सुनार व प्रवीण कुमार सोनी पुत्र महेश कुमार सोनी हि0 1/2 जाति सुनार के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 46 से खसरा नं0 38/0.32 नहरी प्रथम छीतर पि0 रामदेव हिस्सा 1/2, गोरधन, रूपचन्द, घासी, राजू, बलराम पुत्र नाथु, तुलसां, मनभर पुत्रियां नाथु मोत्या बाई बेवा नाथु हिस्सा 1/2 जाति लश्करी सा. देह हि0 ब. के नाम दर्ज थी। नामा0 संख्या 493 दिनांक 11/04/2011 जर्ये माननीय न्यायालय आदेश खसरा नं0 38/0.32 है0 में से 0.18 है0 भूमि श्रीमति चमनलता सोनी पत्नि महेश कुमार सोनी व प्रवीण कुमार सोनी पुत्र महेश कुमार सोनी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। मुताबिक विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में 38/0.18 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड की गई। विक्रय पत्र के अनुसार स्वंय खातेदार शेष आराजी की दिशा पूरब एवं अन्य भू–भाग पश्चिम में अंकित किया गया है। चूंकि राजस्व लट्ठे के अनुसार क्रेता की तरमीम पूर्व दिशा में की गई है जिसका खसरा नं0 38/1 अंकित है। विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में 38/0.18 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड की गई। विक्रय पत्र के अनुसार स्वंय खातेदार शेष आराजी की दिशा पूरब एवं अन्य भू–भाग पश्चिम में अंकित किया जाना उचित है। यहां यह स्पष्ट है कि तरमीम के समय दिशा का अंकन गलत दर्ज किया गया है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में 38/0.18 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड की गई। विक्रय पत्र के अनुसार स्वंय खातेदार शेष आराजी की दिशा पूरब एवं अन्य भू–भाग पश्चिम में अंकित किया गया है। चूंकि राजस्व लट्ठे के अनुसार क्रेता की तरमीम पूर्व दिशा में की गई है जिसका खसरा नं0 38/1 अंकित है। विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में 38/0.18 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड की गई। विक्रय पत्र के अनुसार स्वंय खातेदार शेष आराजी की दिशा पूरब एवं अन्य भू–भाग पश्चिम में अंकित किया जाना उचित है। तरमीम के समय दिशा का अंकन गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम नयानोहरा की भूमि 38/0.18 है0 की तरमीम विक्रय पत्र के अनुसार स्वंय खातेदार शेष आराजी की दिशा पूरब एवं अन्य भू–भाग पश्चिम में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा * उपखण्ड अधिकारी को .	